

राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान
नई दिल्ली-110067

23 FEB 2021

सं.एच.01/2021-हिंदी-राप्रसं/२१४२


23 फरवरी, 2021

परिपत्र

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के दोनों या एक सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी कागजात, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, पत्र, टेंडर नोट, टेंडर फाम आदि दस्तावेजों को द्विभाषी में जारी किया जाना अनिवार्य है।


राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपरोक्त प्रावधानों तथा इस विषय पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने हेतु, प्रभाग एवं अनुभाग प्रभारियों से अनुरोध किया जाता है कि दस्तावेजों को द्विभाषी में ही जारी करें ताकि आगे जैव प्रौद्योगिकी विभाग, गृह मंत्रालय एवं संसदीय राजभाषा समिति की प्रतिकूल टिप्पणियों से बचा जा सके।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(डॉ. डी. के. वशिष्ठ)
वरिष्ठ प्रबंधक

वितरण:

1. सभी प्रयोगशाला प्रभारी
2. सभी अनुभाग प्रभारी
3. निदेशक सचिवालय
4. वरिष्ठ प्रबंधक सचिवालय
5. सभी सूचना पट्टें



**NATIONAL INSTITUTE OF IMMUNOLOGY
NEW DELHI-110067**

No.H.01/2021 -Hindi-NII/2982

23 FEB 2021
23 February, 2021

CIRCULAR

As per provisions contained in section 3(3) of the Official Language Act, 1963, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and other reports, Press communiqués, Reports and other Official paper to be laid before a house or Houses of Parliament, Contract, Agreements, Licensed, Permit, Tender Notices and Forms should invariably be issued bilingually.

In order to ensure the compliance of the above said provisions of the Official Language Act, 1963 and instructions issued by GOI, from time to time on the subject and to avoid further observations raised by DBT & MHA and Parliamentary Committee on the subject. All the Divisional Heads/Section Incharge(s) are requested to kindly ensure compliance of the above said rules by issuing the said documents bilingually form.

This issues with the approval of the competent authority.


(Dr.D.K. Vashist)
Senior Manager

Distribution

1. All Laboratory Incharge(s)
2. All Section Incharge(s)
3. Director Sectt.
4. P.A. to Senior Manager
5. All Notice Board